हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11:00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

01.04.2016/1100/SS-DC/1

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्षः प्रश्न काल आरम्भ, श्री बम्बर ठाकुर। --(व्यवधान)-- आपका एक आदमी खड़ा हो, चार-चार को मैं इकट्ठा नहीं सुन सकता। अगर कोई बात बोलनी है तो एक सदस्य खड़े होकर बोले। Please be orderly. आप (श्री रविन्द्र सिंह जी) बोलिये।

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कल 31 मार्च को इस माननीय सदन में वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई और उसके बाद उनको यहां पर पारित करने का प्रयास किया गया। पिछले कल स्वास्थ्य विभाग की मांग संख्याः 9 पर चर्चा हो रही थी और चर्चा के उपरांत हमारे सभी माननीय सदस्यों ने क्लैरीफिकेशन लेनी चाही। अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव पर चर्चा और जब क्लैरीफिकेशन हो जाती है तो उसके उपरांत चेयर की ओर से कहा जाता है कि जो कटौती प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे 'हां' करें। जो 'हां' करने वाले थे यानी कि विपक्ष वाले, वे उस कटौती प्रस्ताव के समर्थन में 'हां' करने वाले थे, उन्होंने तो 'हां' की नहीं बल्कि सत्तापक्ष की ओर से उस कटौती प्रस्ताव के समर्थन में 'हां' कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले कल संविधान का गला घोंटा गया। पिछले कल सरकार अविश्वास में चली गई।

अध्यक्षः आप अपना प्वाइंट बोलिये।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, पिछले कल से सरकार अल्पमत में है और कोई भी सरकार जब भी वित्तीय अनुमानों पर चर्चा या वोटिंग होती है तो 'हां' की 'हां' या 'न' की 'न' में उसके उपरांत सरकार को --(व्यवधान)--

अध्यक्षः क्या आपने प्रोसिडिंग पढ़ी है?

श्री रविन्द्र सिंहः हां, प्रोसिडिंग पढ़ ली है।

अध्यक्षः आप दोबारा प्रोसिडिंग पढ़ कर आईये।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जो हमारा पत्र था। जो मैंने और आदरणीय महेन्द्र सिंह ठाकुर जी ने यहां पर पिछले कल पत्र दिया था, मैं

उसको कोट करना चाहूंगा।

अध्यक्षः क्या पत्र दिया था?

01.04.2016/1100/SS-DC/2

श्री रविन्द्र सिंहः पिछले कल हमने सचिव महोदय को दिनांक 31 मार्च, 2016 की हिमाचल विधान सभा सत्र की कार्यवाही की प्रति बारे पत्र लिखा था। "महोदय, आज दिनांक 31.03.2016 की हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में मांग संख्याः 9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर तथा उसके उपरांत की सम्पूर्ण कार्यवाही unedited उपलब्ध करवाई जाए।" अध्यक्ष महोदय, ये हमें प्राप्त तो हो गई, लेकिन यह edited कार्यवाही प्राप्त हुई है।

अध्यक्षः यह edited नहीं है। In this House, I won't say wrong things. यह edited नहीं की गई है।

श्री रविन्द्र सिंहः एडिटिड कार्यवाही प्राप्त हुई है, यह भी हमें थोड़ा कहना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसको यहां पढ़ कर सुनाऊंगा। यहां पर कहा गया है।

अध्यक्षः यह पढ़ने के बजाय आप ऐसा करिये। --(व्यवधान)-- Don't waste the time of the House, मैं आपको बताता हूं कि आप ऐसा करें कि आप मेरे कमरे में आकर जो रिकॉर्डिंग हुई है वह सुने। इससे ज्यादा authenticity और क्या हो सकती है? आपका जो लिखा हुआ है, जो रिकॉर्डिंग हुई है, आप उसे देखिये।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं उसी कार्यवाही को पढ़ रहा हूं। आपकी अनुमति से पिछले कल यहां सारी कार्यवाही हुई है। --(व्यवधान)--

अध्यक्षः ये आपने कहां से लिखा है? Let me know from where you have got this.

श्री रविन्द्र सिंह.. श्रीमती के0एस0

01.04.2015/1105/केएस/डीसी/1

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, हमने सचिव महोदय को लिखा था।

अध्यक्षः मैं यह कह रहा हूं कि आपने यह कहां से लिखा है, यह जो आप पढ़ने जा रहे हैं?

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, यह आपकी कार्यवाही है। यह मैंने यहीं से विधान सभा से ली है।

अध्यक्षः कौन सी कार्यवाही?

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, हमने बाकायदा पूरी कार्रवाई करने के उपरान्त ली है। हमने आपके कक्ष में आ कर पत्र दिया।

अध्यक्षः वही तो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने कार्यवाही सुननी है तो आप मेरे कमरे में आ कर वर्ड टू वर्ड कार्यवाही सुन सकते हैं। अनऐडिटिड कॉपी आपको दी गई है और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरी बात सुन लें। यह जो कल की आपकी कार्यवाही है, मैं वही पढ़ना चाहूंगा। जो कल कार्यवाही यहां पर हुई है, उसी की कॉपी जो आपने हमें सप्लाई की है, उसी को मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन में रखना चाहूंगा। मैं ज्यादा पीछे न जाता हुआ, अध्यक्ष महोदय, अन्त में जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने क्लैरिफिकेशन के बाद जो उत्तर दिया है, मैं अन्तिम पैरा की अन्तिम लाइनों पर जाऊंगा। इन्होंने कहा था कि अभी हमने 133 डॉक्टर लगाए हैं जिनकी पोस्टिंग हुई है। परसों वाक इन इन्टरव्यू में 40 डॉक्टर और आए हैं और उनको भी लगाने की कोशिश करेंगें। मैंने पहले ही कहा है कि अगर स्टाफिंग पैटरन के मुताबिक हमें डॉक्टर की संख्या देनी होगी तो अभी हमें 500 डॉक्टर्ज़ और चाहिए। हमारी कोशिश है कि कम से कम हर पी.एच.सी. में एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट और क्लास-IV होना चाहिए ताकि

01.04.2015/1105/केएस/डीसी/2

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अच्छी और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। इसके बाद इन्होंने धन्यवाद कर दिया। उसके उपरांत आपकी चेयर की ओर से कहा गया कि क्या माननीय सदस्य मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहेंगें?

अध्यक्षः मैंने मैम्बर्ज़ के लिए कहा था, मंत्रियों के लिए नहीं कहा था।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यही तो है। हम क्या कह रहे हैं? हमारा कहना भी यही है।

अध्यक्षः बिल्कुल नहीं। मैंने यह कहा कि क्या माननीय सदस्य प्रस्ताव को वापिस लेंगें? आप उसके ऊपर कुछ नहीं बोले। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी क्लैरीफाई करेंगें

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, यह सूचना आपके सचिवालय की ओर से उपलब्ध करवाई गई है। यह उसी की कॉपी है और जब आपने यह कहा कि जो इस कटौती प्रस्ताव के पक्ष में है हां कहे, तो सत्ता पक्ष की तरफ से हां हो गई। ----(व्यवधान)----इसका मतलब कि सरकार ने हमारा कटौती प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ----(व्यवधान)----

अध्यक्षः यह किसी ने नहीं कहा। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। ----(व्यवधान)----

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय ----(व्यवधान)----

अध्यक्षः आप में इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है? Why you are frustrated? ---(interruption)--- You are so much frustrated. ---(interruption)--- Please sit down. ---(interruption)---.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः ----(व्यवधान)---- यह क्या मज़ाक है? ----(व्यवधान)---- बैठो।

01.04.2015/1105/केएस/डीसी/3

अध्यक्षः कृपया बैठ जाइए। ----(व्यवधान)---- एक मिनट बैठ जाइए। ----(व्यवधान)----

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के लोग सिर्फ अपनी बात करना चाहते हैं और सत्ता पक्ष की बात नहीं सुन रहे हैं। इनको विधान सभा के प्रोसीज़र का पता नहीं है। ----(व्यवधान)----

अध्यक्षः कृपया बैठ जाइए। ----(व्यवधान)---- Please sit down. ---(interruption)--- भारद्वाज जी आप बैठ जाइए। एक मिनट, let us hear the version of the Hon'ble Minister.उनको बोलने दीजिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को शायद विधान सभी की जो कार्यवाही है, जब कट मोशन का मंत्री जवाब देता है तो मंत्री जवाब के बाद कहता है कि विपक्ष के सदस्यों ने जिन्होंने कट मोशन दिए हैं, वे अपने कट मोशन मेरे जवाब को ध्यान में रखते हुए वापिस लें और

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

1.4.2016/1110/av/ag/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री------- जारी

आपने ऊपर से फिर यही कहा कि मंत्री के जवाब को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय सदस्य अपने-अपने कटौती प्रस्ताव वापिस करेंगे, तो ये चुप रहे। ये चुप रहे और इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। (---व्यवधान---)

Speaker: Please sit down. You should have the patience to listen.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः बात सुनिए, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने कहा; हां जी, इनके कटौती प्रस्ताव वापिस माने जाएं। यह रिकॉर्ड में है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि ये विधान सभा की कार्यवाही को भी यह कह रहे हैं कि

टैम्पर्ड विद हो रही है। ये लोग माननीय अध्यक्ष के आदेशों को नहीं मानते हैं, which is final. आप जो फैसला करते हैं, मुझे आपसे निवेदन करना है कि आप इस बारे में भी रूलिंग दें कि कल जो कार्यवाही हुई थी हम उस बारे में भी आपकी रूलिंग चाहते हैं। वरना ये लोग शोर मचाते रहेंगे। क्योंकि ये sign of frustration है । (---व्यवधान---)

अध्यक्षः बैठ जाइए। Please sit down. बैठ जाइए। I won't allow you. बैठ जाइए, प्लीज। भारद्वाज जी, आप बैठ जाइए। मुझे बोलने दीजिए। Just a minute. प्लीज, एक मिनट। एक मिनट सुन लीजिए, जरा। आपने जो बात कही है मुझे उसका जवाब तो देने दीजिए। Let me answer. दिनांक 31.4.2016 को मांग संख्या 9, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर चर्चा के उपरांत माननीय मंत्री जी के उत्तर के दृष्टिगत मैंने विपक्ष के माननीय सदस्यों सर्व श्री महेन्द्र सिंह, रिखी राम कौंडल, विजय अग्निहोत्री, इन्द्र सिंह, जय राम ठाकुर, महेश्वर सिंह, सुरेश भारद्वाज, रविन्द्र सिंह और डॉ0 राजीव बिन्दल से आग्रह किया था कि क्या वे अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने के लिए तैयार हैं। इस पर माननीय सदस्यों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। केवल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि हां। उस समय मैंने कोई भी प्रस्ताव मतदान के लिए रखा नहीं था। मैंने माननीय सदस्यों से बार-बार आग्रह किया क्या आप अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने के लिए

1.4.2016/1110/av/ag/2

तैयार हैं। जब माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने के लिए अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी तो मैंने अपने विवेक से प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत कर दिया।

तो प्रश्न यह है कि सर्वश्री रिखी राम कौंडल, विजय अग्निहोत्री, इन्द्र सिंह, जय राम ठाकुर, महेश्वर सिंह, सुरेश भारद्वाज, रविन्द्र सिंह और डॉ0 राजीव बिन्दल के कटौती प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं।

इसमें मैंने कहा कि जो इसके पक्ष में हैं हां कहें, जो इसके विरुद्ध हैं, न कहें।

न की न की न में रही और प्रस्ताव गिर गया।

यह सारा रिकॉर्ड बिल्कुल ऑरिजनल रिकॉर्ड है and I charge you this thing. आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड में टैम्परिंग हुई है। I charge you and I will take action against you if it is found to be correct. I will take action against you. आपने कैसे कह दिया कि यह ऐडिटिड है। कैसे कह दिया कि यह चेंज किया गया है। How did you dare to say this thing? जब मैं आपको कह रहा हूं कि यह चेंज नहीं किया गया, वैसे-का-वैसा ही है। You can hear the computer in my room. Anytime you can come. एक मिनट सुनिए और मुझे बोलने दीजिए। पहले मुझे बोलने दीजिए। मैं आपसे यह पूछता हूं कि पहले तो आपने चार्ज लगाया कि यह चेंज हुई है, ऐडिटिंग हुई है। मैं आपको कह रहा हूं कि ऐडिटिंग नहीं हुई है। You can hear the computer in my room anytime you like. और आप गलत बयानी मत करो। Otherwise action will be taken. Don't put a wrong thing before the House? (---व्यवधान---) सब बोलेंगे कि एक बोलेंगे? आप सारे खड़े न हो, आप (डॉ0 राजीव बिन्दल जी को कहा।) बोलना चाहते हैं या सारे बोलना चाहते हैं? I cannot hear everybody at a time. मैं कह रहा हूं कि आप पहले बाकियों को बिठाइए तो सही। तीन-तीन आदमी खड़े हैं, कौन बोलेगा? Let one people say. एक आदमी बोलो।

श्री रविन्द्र सिंह टीसी द्वारा जारी

1.4.2016//1115/TCV/AG/1

श्री रविन्द्र सिंहः आप कोई भी व्यवस्था देंगे, इस चेयर का हम आदर करते हैं, पूरा विपक्ष चेयर के आदेश की पालना करता है, करते आए हैं और करते रहेंगे। अभी आपने जो यहां पर पिछले कल की कार्यवाही पढ़ी, उसमें आप देखेंगे, आपने कहा कि जो इस कटौती प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे 'हाँ' कहे तो विपक्ष की ओर से हाँ नहीं हुई बल्कि पक्ष की ओर से हाँ हो गई और इसका रिकॉर्ड यहां दर्ज़ है। अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा सचिवालय की कार्यवाही है। (---व्यवधान-----)।

अध्यक्षः अगर मंत्री जी ने कह दिया कि इस कटौती प्रस्ताव को वापिस लिया जाये- हाँ तो इसमें क्या गलत है।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, हम कोई गलत नहीं कह रहे हैं ये संवैधानिक क्राईसिज़ यहां पर पैदा हो गया है (---व्यवधान-----)।

अध्यक्षः मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि अगर मंत्री जी ने यह कहा कि कटौती प्रस्ताव वापिस होने चाहिए तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? There is no problem in that.

श्री रविन्द्र सिंहः नहीं सर नहीं, ये शुद्धि आज नहीं हो सकती है, ये शुद्धि कल होनी चाहिए थी, ये कल चुप रहते, जब इन्होंने हाँ की थी, ये तो हाँ हमने करनी थी।

अध्यक्षः मंत्री जी ने ये नहीं कहा कि कटौती प्रस्ताव मंजूर हो गये हैं। उन्होंने कहा कि कटौती प्रस्ताव वापिस होने चाहिए- हाँ (---व्यवधान---)।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि कटौती प्रस्ताव वापिस किए जाये। सत्ता पक्ष ने कहा- हाँ। हमारा कहना यही है कि इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, पिछले कल यह अपना हक छोड़ चुकी है। इसलिए अध्यक्ष महोदय (-व्यवधान--)

1.4.2016//1115/TCV/AG/2

Speaker: Question Hour begins.

श्री बम्बर ठाकुर जी अपना प्रश्न पूछिए। --3116-- (Absent)

अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री नरेन्द्र ठाकुर । --3117--- (Not Interested)

अध्यक्षः अगला प्रश्न डा0 राजीव सैजल I--3118--- (Not Interested)

अध्यक्षः अगल प्रश्न श्री बलदेव सिंह तोमर । --3119---(Not Interested)

1.4.2016//1115/TCV/AG/3

अध्यक्षः अगर आप अडंर रूल नहीं होंगे I will take action. आप बात करने दो और मुंह से बात कीजिए। Don't make unruly gestures? This is un-parliamentary. You want to speak. You have already spoken and I have replied that. You should have faith in me. I invite you to listen the computer in my room. जो मैं कह रहा हूं आप देखिए कि आपसे मेल खाता या नहीं । अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो कम से कम कम्प्युटर पर तो विश्वास करिए जो रिकॉर्ड करता है। उसको देखिए और कंपेयर करिए लेकिन शोर मचाने से तो कुछ नहीं होगा। This Assembly will not stop by unruly behaviour by you. Your behaviour is unruly. This is not tolerable.

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये)

शायद मैं समझता हूं कि their intention was to make unruly gestures here. That was unjustified, not proper and un-parliamentary. जो मैं पढ़ने लगा था उसको सुनते और यह कहने के वजाये कि I assure the House that the yesterday's proceedings were unedited and I myself listen to the computer word by word and the same has been taken down by the Secretary, Vidhan Sabha and conveyed to them also. A copy has also been given in this matter. मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूं कि कल को किसी को भी शंका नहीं होनी चाहिए कि there is something wrong. इनका इस वक्त बाहर जाने का मूड था They had no other excuse to go out.

श्री आर0के0एस0 द्वारा ---- जारी ।

01/04/2016/1120/RKS/AS/1

अध्यक्ष....जारी

कल दिनांक 31 मार्च, 2016 को मांग संख्याः 9 -'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण' पर चर्चा के उपरान्त माननीय मंत्री जी के उत्तर के दृष्टिगत मैंने विपक्ष के माननीय सदस्यों सर्वश्री महेन्द्र सिंह, रिखी राम कौंडल, विजय अग्निहोत्री, इन्द्र सिंह, जय राम ठाकुर, महेश्वर सिंह, सुरेश भारद्वाज, रविन्द्र सिंह और डॉ0 राजीव बिन्दल से आग्रह किया था कि वे अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने के लिए तैयार है। इस पर माननीय सदस्यों ने अपनी कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। केवल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने कहा 'हां' उस समय मैंने कोई भी प्रस्ताव मतदान के लिए नहीं रखा था। मैंने माननीय सदस्यों से बार-बार आग्रह किया कि क्या वे अपने-अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने के लिए तैयार हैं? जब सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं की तब मैंने अपने विवेक से प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत किया।

"तो प्रश्न यह है कि सर्वश्री महेन्द्र सिंह, रिखी राम कौंडल, विजय अग्निहोत्री, इन्द्र सिंह, जय राम ठाकुर, महेश्वर सिंह, सुरेश भारद्वाज, रविन्द्र सिंह और डॉ0 राजीव बिन्दल के कटौती प्रस्ताव वापिस किए जाएं।

जो इसके पक्ष में हैं, हां कहें,
जो इसके विरूद्ध हैं, न कहें,
न की न की न में रही,

प्रस्ताव गिर गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार।"

This is what is recorded in the computer and this has been taken down by the Secretary, H.P. Vdhan Sabha and given to me, a copy of which has also been given to them. अब इसमें क्या है। I don't think there is any anomaly in this and they should not raise any question. They should not make this

House a

01/04/2016/1120/RKS/AS/2

fish market, for nothing. I think that, if they have to talk something sensible, they should come here and discuss the matter, I have given them option to hear the computer in which the recording has been done yesterday. They can come to my room any time and this has been taken out from the computer. This is not my own innovation. So we start with the Question Hour.

01/04/2016/1120/RKS/AS/3

अध्यक्षः माननीय मंत्री ठाकुर कौल सिंह जी क्या आप कुछ बोलेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, आपने स्पष्ट तौर पर वही रूलिंग दी है जो कल विधान सभा के अंदर घटित हुआ है। जब मैंने अपना जवाब पूरा किया तो मैंने कहा कि मेरे जवाब को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव वापिस ले लें। उसके बाद मैं बैठ गया। फिर क्लैरिफिकेशन हुई, मैंने क्लैरिफिकेशन का जवाब दिया। उसके बाद आपने कहा कि क्या मंत्री जी के जवाब को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेंगे? परन्तु इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और हमने कहा कि हां ये अपने कटौती प्रस्ताव वापिस ले लें। इस पर इन्होंने दूसरे तरीके से इन्टरप्रेट किया perhaps they are not aware of the parliamentary procedure. They should have faith in democratic norms, conventional, precedent and tradition of this House. जिस तरीके से ये पिछले 5 दिनों से व्यवहार कर रहे हैं हम भी विपक्ष में थे, हम भी प्रदेश के हित के मामले उठाते थे और कभी भी हमने प्रश्नकाल को डिस्टर्ब नहीं किया। जब भी हम मामले उठाते थे प्रश्नकाल के बाद उठाते थे। मैंने इनसे कल भी अनुरोध किया था कि आपके लिए प्रश्नकाल बहुत

महत्वपूर्ण है। सरकार सूचना एकत्रित करने के लिए हजारों रुपए खर्च करती है तो इसलिए आपको यह सूचना लेनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये व्यवहार कर रहे हैं ऐसा लगता है कि इनके मन के अंदर निराशा और हताशा है। ये लोग चाहते थे कि पक्ष के कुछ विधायक भी अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरह करेंगे लेकिन मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूं कि कांग्रेस विधायक दल श्रीमती सोनिया गांधी जी व हिमाचल में वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में एकजुट है। ये कह रहे थे कि कल crisis of confidence हुआ है। There is no crisis of confidence in the Congress Legislature Party. We are united and we will fight them out. यही नहीं है, यह टैन्योर तो हम पूरा करेंगे। इनके नेता कहते हैं कि वर्ष 2016 में चुनाव हो जाएंगे। चुनाव वर्ष 2017 में ही होंगे। हमारी सरकार वर्ष 2017 तक काम करेगी। हमने विकास के

01/04/2016/1120/RKS/AS/4

काम थोक में किए हुए हैं उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी और ये लोग विपक्ष में ही बैठेंगे। यही मेरा कहना है।

अध्यक्ष की अंग्रेजी श्री ए. एस.द्वारा ...जारी

01.04.2016/1125/SLS-AS-1

Speaker: Further I must also supplement that when I asked them to withdraw the Motion, मैंने कहा कि आप अपना प्रस्ताव वापिस लेंगे? उस वक्त that was not put to vote. However, the Hon'ble Health Minister said कि प्रस्ताव वापिस लेना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि 'हां'। तो इसमें इन्होंने कहा कि हां, वापिस लेना चाहिए। That was not put to vote and voting was done when they went out. जब उसमें वोटिंग नहीं हो रही है, उसमें अगर कोई मैंबर कुछ बोल रहा है तो if that is recorded, that is not the part of the voting process.

01.04.2016/1125/SLS-AS-2

Speaker: Next Question Shri Ajay Mahajan.

Question No. : 3120

Shri Ajay Mahajan: Speaker, Sir, I want to tell the Hon'ble Chief Minister that the information which has been laid on the Table of the House seems incomplete. He has mentioned that there are only 9 roads in Nurpur Assembly Constituency lying pending for FCA clearance. But actually there are 37 roads in the Nurpur Constituency for which the process was initiated, out of which the process of 27 roads are lying with the nodal agency in Shimla and 10 are still under process in Nurpur. Now, it is a very serious matter. In 2014, after getting the due clearances at the local level, the matter was sent online to the nodal agency in Shimla in prescribed format. In 2014 there was a different format. Further in 2015 the format was changed. Now, this year, in March, again the format has been changed. None of the cases, so far, have been sent back to the DFO, Nurpur. The factual position is that the whole process is standstill. I would like to request you to kindly intervene in this matter. This is a very-very serious matter. All the roads have become standstill on the technical matters. Nothing is happening there online. It was said that there is some problem with the Portal. Now, the Portal is giving message that it is temporarily out of order. So, I would like to request the Hon'ble Chief Minister to kindly intervene in the matter so that the things can be expedited at the earliest.

01.04.2016/1125/SLS-AS-3

Chief Minister: Speaker, Sir, I have given very detailed reply to the question of the Hon'ble Member. But I do agree that many of the cases have not been processed so far. This is not a happy situation. I will look into the

matter and see that the entire process is expedited in respect of each road and each project. I hope that what has not been done in the past will be done in next few months. The biggest hurdle is forest clearance. We we are facing this problem not only in the Nurpur Constituency, but in other constituencies also. I am also facing this problem in my own Constituency. In spite of the fact that there was a declaration that the DFO of the division has power to sanction one hectare of forest land for other purposes, but in reality it is not being done. I will take meeting of the Forest Department and all the other concerned departments to sort out this matter. This delay is not occurring in Nurpur Constituency only, but many other constituencies are also facing the same problem. Thank you, Sir.

Speaker: Next question-3121- Shri Suresh Bhardwaj (Absent)

जारी..गर्ग जी

01/04/2016/1130/RG/DC/1

<u>प्रश्न सं. 3122</u>

श्री अनिरूद्ध सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मशोबरा-बेखलटी रोड है इस बारे में जो मुझे जवाब आया है उसके अनुसार वर्ष 2011 में इसका काम अवार्ड हुआ था, परन्तु ठेकेदार के अवार्ड न करने के कारण काम डिले हुआ, उसकी री-टेण्डरिंग भी हुई, परन्तु आज तक वह पक्का नहीं हुआ है। साथ ही जब री-टेण्डरिंग की गई, तो उस समय भल्कू रोड का, क्योंकि टेण्डर के रेट्स बढ़ गए थे, उस समय महंगाई हो गई थी, तो चार किलोमीटर की सड़क बेखलटी की तरफ छोड़ दी गई है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि चार किलोमीटर की सड़क को पक्का करने के लिए इनक्लूड करें। क्योंकि यह बहुत पुरानी सड़क है और यह अल्टरनेटिव रोड है और सेब सीज़न में गाड़ियां यहीं से चलती हैं।

Chief Minister: Hon'ble Speaker Sir, the factual position is as below.

18 Km long Mashobra Bhaikhality Road was constructed long back. The work of C.D, metalling and tarring was sanctioned in January 2011 under CRF for Rs. 6 crores. The work was awarded in December 2011 but contractor failed to complete the work. A penalty of Rs. 51 lacs was imposed on the contractor and work was rescinded in May 2015. The tender for balance work has been awarded in October 2015 for Rs. 4.49 crores. The work is in progress and is likely to be completed by October2017.

श्री अनिरूद्ध सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने जो री-टेण्डरिंग करवाई और दुबारा इसका काम शुरू हुआ, परन्तु मेरा कहना यह है कि जो 18 किलोमीटर की सड़क थी जिसका काम 6 करोड़ रुपये में अवार्ड किया गया था जब इसकी दूसरे ठेकेदार को री-टेण्डरिंग की गई, तो केवल 14 किलोमीटर रोड की गई और चार किलोमीटर सड़क छोड़ दी गई। इसलिए मेरा पुनः आग्रह यह है कि जो चार किलोमीटर सड़क छोड़ दी गई है उसमें भी मैटलिंग का प्रावधान प्रदेश सरकार करे ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। क्योंकि आज तक वह पक्की नहीं हुई। यह आप भी

01/04/2016/1130/RG/DC/2

जानते हैं और आप भी उस सड़क से कई बार गए हैं। उस सड़क का इतना बुरा हाल है कि उसमें गड्ढे हैं और वहां के लोगों को सिर्फ धूल खानी पड़ती हे। इसलिए मेरा आग्रह सिर्फ यह है कि जो चार किलोमीटर सड़क छोड़ी गई, वह इन्क्लूड करनी चाहिए थी। इसलिए यह भी इनक्लूड की जाए।

Chief Minister: Sir, the second tender covers the entire length of the road.

01/04/2016/1130/RG/DC/3

प्रश्न सं. 3123

Speaker : Smt. Asha Kumari has authorized to Sh. Sanjay Rattan.

श्री संजय रतन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये पांच रूट्स तो वे हैं जो एच.आर.टी.सी. को आर.टी.ओ. या स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से अलॉट हुए हैं और

एम.एस. द्वारा जारी

1/04/2016/1135/MS/DC/1

प्रश्न संख्याः 3123 क्रमागत---श्री संजय रतन जारी----

चम्बा जिला में कुछ ऐसे रूट्स हैं जो हमारे मुख्य गांव से 2-4 किलोमीटर आगे जो अगला गांव है, उस तक हमने एक्सटैंड किए हुए हैं, वे बन्द हुए हैं। वे कब तक चला दिए जाएंगे? दूसरा, क्या चम्बा से दिल्ली वोल्वो बस कभी चली और अगर चली तो कितना समय चली? उसके बन्द होने के कारण क्या रहे और अगर बन्द कर दी है तो कब तक दुबारा शुरू कर दी जाएगी?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य अगर अपना सवाल देखें तो इन्होंने प्रश्न के "ए" भाग में पूछा है कि presently how many routes HRTC is plying in Chamba District? We have given the reply 210 buses on 127 routes. How many routes have been discontinued? उसका जवाब "बी" पार्ट में दे दिया कि पांच किए थे और वे दुबारा शुरू कर दिए हैं। अभी इन्होंने कहा कि हम बस को आगे चालू कर देते हैं तो उसको एच0आर0टी0सी0 नहीं कर सकती है। ये अपनी बस चला सकते हैं।

श्री संजय रतनः अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से दूसरा पार्ट पूछा था कि क्या चम्बा से दिल्ली कभी वोल्वो बस चली? अगर चली तो कितना समय चली और उसके बन्द करने

के क्या कारण हैं? अगर बन्द है तो कब तक पुनः शुरू कर दी जाएगी?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष जी, वहां वोल्वो बस ट्रायल पर चलाई गई थी। ट्रायल पर उसके इकॉनोमिक्स वर्कआउट नहीं किए इसलिए उसको बन्द किया गया है। वह बस ट्रायल पर ही चलाई गई थी। मैं जब चम्बा गया था तो मैंने वहां भी एनाऊंस किया था कि एक बार उसको ट्रायल पर चालू करेंगे। जब ट्रायल पर चलाई तो ट्रायल पर उसका रिस्पोंस ठीक नहीं आया इसलिए उसके रिस्पोंस को देखते हुए इसको वापिस लिया है। भविष्य में दुबारा हम कभी सीजन में ट्रायल करके देखेंगे। अगर उसकी ट्रायल ठीक रहती है तो उसके बाद फैसला लेंगे।

1/04/2016/1135/MS/DC/2

प्रश्न संख्याः 3124

अध्यक्षः अगला प्रश्न माननीय सदस्य श्री गुलाब सिंह ठाकुर।
(अनुपस्थित)

1/04/2016/1135/MS/DC/3

प्रश्न संख्याः 3125

श्री खूब रामः अध्यक्ष जी, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है इसमें माननीय मंत्री जी ने कहा कि 996 ग्राम रोजगार सेवक इस समय कार्यरत्त हैं और इनको केवल-मात्र 5000/-रुपये पारिश्रमिक दिया जाता है। प्रश्न के "ग" भाग के उत्तर में इन्होंने कहा है कि इनको 15 प्रतिशत कमीशन भी दिया जाता था लेकिन अब वह कमीशन बन्द कर दिया है। अब इनको केवल-मात्र 5000/-रुपये से अपना गुजारा करना पड़ रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या अनुबन्ध नीति के अनुसार इन ग्राम रोज़गार सेवकों को लाने की सरकार मंशा रखती है या करेगी?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इनको "मनरेगा" के अंतर्गत स्कीम बेस्ड रखा गया था और ये 996 ग्राम रोजगार सेवक रखे गए थे। जो माननीय सदस्य 15 प्रतिशत कमीशन की बात कर रहे हैं वह 15 प्रतिशत नहीं बल्कि 1.5 प्रतिशत है। हम इनको 3600/- रुपये दिया करते थे। फिर ये लोग हमसे मिले तो उनसे उल्टी रिकवरी होती थी क्योंकि कई जगह जी0आर0एस0 का काम कम होता था तो कमीशन डेढ प्रतिशत से भी कम होती थी। तो इनकी ही तरफ से डिमाण्ड आई कि आप हमें फिक्स अमाऊंट कर दीजिए। हम इनको 5000/-रुपया फिक्स दे रहे हैं। इनको "मनरेगा" स्कीम के अंगेस्ट रखा गया है और उस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार की स्टेट गाइडलाइन्ज हैं कि हमें जो लगभग 6 प्रतिशत एडमिनिस्ट्रेटिव कौस्ट मिलती है, उससे ज्यादा हम इसमें एक्सपैंसिज नहीं कर सकते हैं और जो भारत सरकार की गाइडलाइन्ज हैं उसमें लिखा गया है कि no permanent posts are to be created under this program and Government of India will not take any liability for any permanent post under it. हम इनके पदों को परमानैंट नहीं कर सकते यानी भारत सरकार की गाइडलाइन्ज के अनुसार हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं।

1/04/2016/1135/MS/DC/4

प्रश्न संख्याः 3126

अध्यक्षः अगला प्रश्न माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह।
अनुपस्थित

अगला प्रश्न श्री जे0एस0 द्वारा----

01.04.2016/1140/जेएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 3127

श्री राम कुमारः अध्यक्ष महोदय, जो कम्पलीशन नालागढ़ से स्टार्ट होता है एक

किलोमीटर 35/0 से 49/0, इसका काम काफी समय से बन्द पड़ा है। माननीय मुख्य मंत्री जी खुद भी जब नालागढ़ के प्रवास पर गए थे तब मैं भी इनके साथ था। ये काम बन्द पड़े हैं। इसमें जो रिवाईज्ड कम्पलीशन का टाईम दिया गया वह 30.6.2016 तक है। यह काम बन्द पड़ा है। यह काम 30.6.2016 तक कैसे कम्पलीट होगा जब तक काम चालू नहीं होगा? माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यही जानना चाहूंगा कि इस काम को शीघ्र शुरू करने के आदेश विभाग को दें ताकि इसका कम्पलीशन समय पर हो सके।

दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि इसमें टोटल प्रोजैक्ट कॉस्ट जो नालागढ़ से स्वारघाट तक 35 से 49 किलोमीटर बताई गई है तथा बद्दी से नालागढ़ जो भी इसमें लैंड एक्वायर होनी है, इसकी डी0पी0आर0 में जो इसकी प्रोजैक्ट कॉस्ट है वह 20 से 35 है, इसके बारे में भी मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि इसकी भी मुझे डिटेल्ज़ प्रोवाइड करवाई जाए कि इसकी कितनी कॉस्ट है?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो यह सूचना चाह रहे हैं, जो मैंने विस्तृत उत्तर दिया है उसमें यह सारी सूचना शामिल है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बीच में काम में रूकावट आई थी मगर अब काम फिर शुरू हो गया है। जहां तक नालागढ़ से लेकर स्वारघाट का प्रश्न है वहां पर बीच में उस काम की कोई नुक्ताचीनी हुई थी इसलिए कुछ समय के लिए वह काम बन्द रहा। अब दोबारा से उस काम को चालू किया गया है। अब मुझे उम्मीद है कि वह सड़क बहुत जल्दी तैयार होगी उसके ऊपर मैटलिंग और टारिंग होनी है। अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा कि जो बद्दी से नालागढ़ की सड़क है उसमें बीच में अभी लैंड एक्युजिशन का काम भी बाकी रहा हुआ है यानि लैंड एक्वायर नहीं हुई है। जब वह लैंड एक्वायर होगी तब जा करके उस सड़क की जो डिजायर्ड विड़थ है वह बनाई जाएगी और फिर उसमें मैटलिंग/टारिंग भी साथ में होगी।

01.04.2016/1140/जेएस/एजी/2

प्रश्न संख्याः 3128

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि जो इन्होंने सूचना सभा पटल पर रखी है उसके अनुसार रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र में जो लघु एवं सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग स्थापित किए गए हैं उनमें 593 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। मैं, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इसमें कितने उद्योग लगे हैं, उसका ब्योरा देने की कृपा करें?

दूसरे, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि अभी तक जितने उद्योग लगे हैं उनकी संख्या और बढ़ाई जाए और दूसरे उद्योग स्थापित किए जाए ताकि लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त हो।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (प्राधिकृत)ः अध्यक्ष महोदय, रोहड़ू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत 431 लघु एवं सूक्ष्म उद्यम स्थापित हुए हैं और जिस पर मु0 876.27 लाख रूपए की पूंजी का निवेश हुआ है। लघु व सूक्ष्म उद्योग मुख्यतः खाद्य प्रसंस्करण, लकड़ी, स्टील, ऊनी वस्त्र, बुनाई आदि पर आधारित सूक्ष्म उद्योग स्थापित हुए हैं। इसके अलावा कुछ ऑटो रिपेयर, इलैक्ट्रोनिक्स रिपेयर तथा सूचना प्रोद्यौगिकी पर भी आधारित उद्योग स्थापित हैं। अगर कोई लोग लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर वे लोग आमंत्रित हैं, क्योंकि सी-केटेगरी में रोहड़ू क्षेत्र को डाला गया है और उसमें काफी रियायतें दी गई हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

01.04.2016/1145/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 3128 क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्रमागतः

तो मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को प्रेरित करें।

उसके अलावा मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि रोहड़ क्षेत्र फ्रूट ग्रोइंग एरिया है। इसमें भारत सरकार का और हिमाचल का स्टेट फूड प्रोसैसिंग मिशन स्थापित हुआ है, जिसके अन्तर्गत इन उद्योगों को स्टेट गवर्नमैंट 33 से 75 परसैंट सबसिडी प्रोवाइड करती है। इसी तरह नेशनल होर्टिकल्चर बोर्ड है उसके माध्यम से भी काफी उन क्षेत्रों को प्रोत्साहन है और मैं चाहूंगा कि ज्यादा-से-ज्यादा उद्योग उस क्षेत्र में लगें।

01.04.2016/1145/SS-AG/2

प्रश्न संख्याः 3129

अध्यक्षः अगला प्रश्न, डॉ0 राजीव बिंदल। अनुपस्थित।

01.04.2016/1145/SS-AG/3

प्रश्न संख्याः 3130

अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री किशोरी लाल। Authorized to Shri Ravi Thakur.

Shri Ravi Thakur: Speaker, Sir, I would like to ask the Hon'ble Minister for Power, Government of Himachal Pradesh whether the parameters laid down by the department were impartial? Why the department did not give any timeline? Does the department think that the work is done indefinitely?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस प्रोजैक्ट का एग्रीमैंट ऑफ इम्प्लीमैंटेशन हो चुका है। After deposit of one instalment of upfront premium, the Government entered into Pre Implementation Agreement with the company on 2nd June, 2011. The Detailed Project Report of the project was submitted by the company in pursuance to the provisions of PIA. The civil part of DPR was scrutinized by . . . अध्यक्ष महोदय, अभी तक इम्प्लीमैंटेशन एग्रीमैंट नहीं हुआ है क्योंकि अभी प्रोजैक्ट को टी0ई0सी0 नहीं मिला है।

01.04.2016/1145/SS-AG/4

प्रश्न संख्याः 3131

अध्यक्षः अगला प्रश्न, श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, अनुपस्थित।

अगला प्रश्न श्री पवन काजल।

01.04.2016/1145/SS-AG/5

प्रश्न संख्याः 3132

श्री पवन काजलः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मैंने यह पूछा था कि जो हमारा इलैक्ट्रीसिटी का सब-डिवीजन, धर्मशाला में है उसमें कांगड़ा विधान सभा की तीन पंचायतों मटौर, कोहला और गग्गल को सम्मिलित किया जाए। यह मटौर पंचायत कांगड़ा इलैक्ट्रीसिटी सब-डिवीजन से तीन किलोमीटर की दूरी पर है तो मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन तीन पंचायतों को जनता की सुविधा के लिए हम कांगड़ा सब-डिवीजन से नहीं जोड़ सकते?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये ज्यादातर बिजली-पानी के सब-डिवीजन हैं या दूसरे सब-डिवीजन हैं। जहां तक हमारा बिजली का सिस्टम है इसमें ज्यादा यह नहीं देखा जाता कि पंचायत कितनी दूर पड़ रही है। यह सिस्टम पर निर्भर करता है कि किस सिस्टम के अंदर अच्छे तरीके से बिजली दी जा सकती है। अगर विधायक फिर भी कहेंगे कि बदलना है तो आप लिखकर दो, उसको बदलवा देंगे।

01.04.2016/1145/SS-AG/6

प्रश्न संख्याः 3133

अध्यक्षः अगला प्रश्न, श्री रविन्द्र सिंह, अनुपस्थित।

प्रश्न संख्याः 3134

अध्यक्षः अगला प्रश्न, श्री विनोद कुमार, अनुपस्थित।

जारी.. श्रीमती के0एस0

01.04.2015/1150/केएस/एएस/1

प्रश्न संख्याः 3135

श्री राकेश कालियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरियाज़ के जो रोड़ हैं उनकी हालात पहले तो ठीक नहीं थी लेकिन दो रोड़ आपने स्वीकृत किए हैं। तीन रोड़ और हैं, एक बणे दी हट्टी से शिवपुर, कड्डु और तीसरा कलरुही का है। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी बताएं कि क्या इन सड़कों को कंस्ट्रक्ट करने का सरकार का कोई प्लैन है? यदि हां, तो कब तक कर देंगें? मैं तो मुख्य मंत्री जी से आश्वासन ही चाहता हूं कि इनकी रीपेयर के लिए कुछ पैसा स्वीकृत कर दिया जाए क्योंकि इंडस्ट्री डिपार्टमैंट के पास पैसा भी है।

Chief Minister: Hon'ble Speaker, Sir, two roads have been constructed by HPPWD in the industrial area of Gagret and Kalruhi i.e. c/o Link road Police Station Gagret to Industrial Area Shivbari 2/685 KM under NABARD and construction of c/o RCC Box Cell Bridge 71.875 meter span on Banne-di-Hatti Andora road, including improvement and strengthening of road under deposit by Industries Department. No other new road is proposed by the HP PWD in this industrial area. If Hon'ble Member has some suggestions, kindly write to me and then we will see how we can accommodate your wish

श्री राकेश कालियाः धन्यवाद, सर।

01.04.2015/1150/केएस/एएस/2

प्रश्न संख्याः 3136

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसके अंतर्गत अनेकों सिपाही 30-35 वर्ष तक सेवा करने के बाद भी कॉंस्टेबल के रूप में ही सेवानिवृत्त हो जाते है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या मुख्य मंत्री महोदय इस

बात पर विचार करेंगें कि इनका बी-1 टैस्ट के बाद जो कोटा है वह इस प्रकार का हो ताकि वरिष्ठता के आधार पर उनको पदोन्नति का अवसर मिले और कम से कम वे सब इन्सपैक्टर के रूप में रिटायर हो सके, क्या इस बात पर सरकार विचार करेगी?

Chief Minister: Sir, for promotion from Constable to Head Constable the quota is as under: Based on B-test 50% on seniority, fitness 30% and merit 10%. This is a present system and I don't think in any system, anywhere we have a system where a person who is recruited as constable retires as Sub-inspector. That can be rare cases not in every case.

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, क्या यह सत्य है कि अनेकों प्रान्तों में वरीयता का कोटा अधिक है। अधिकांश राज्यों में 10 वर्ष पूरे होने पर वरीयता के आधार पर हैड कॉंस्टेबल बन जाते हैं और उसके बाद 10 वर्ष पूरा करने के बाद ए.एस.आई. बन जाते हैं। क्या इस बात पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी कि

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

1.4.2016/1155/av/as/1

प्रश्न संख्या : 3136------ क्रमागत

श्री महेश्वर सिंह : जारी

उसी विभाग में जहां एक क्लर्क सुपरिनटेंडैंट पद पर जाकर रिटायर होता है तो वहां सिपाही को भी ऐसा अवसर मिलना चाहिए। बाकी प्रान्तों में जिस प्रकार की व्यवस्था है क्या सरकार उसके अनुसार गौर फरमाएगी?

Chief Minister : This is a suggestion for action.

1.4.2016/1155/av/as/2

प्रश्न संख्या 3137

अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री यादविन्द्र गोमा, प्राधिकृत श्री संजय रतन।

श्री संजय रतन (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, आई0टी0आई0 लाहड़ू वर्ष 2007 में सैंक्शन हुई और 2007 से ही उसने काम करना शुरू कर दिया। मगर आज तक उसका अपना भवन नहीं बना। एक जगह भूमि का चयन किया गया और उसके ऊपर भूमि पूजन भी किया गया। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने 1,17,35,400/- रुपये की स्वीकृति दी है, यह कब दी गई? इसी तरह से लोक निर्माण विभाग के पास जो 52.34 लाख रुपये जमा करवाये गये हैं, यह कब करवाये गये? इस भवन का काम कब तक शुरू कर दिया जायेगा और क्या उसी भूमि पर किया जायेगा जहां भूमि पूजन हुआ है या इसके लिए कोई अन्य स्थान देखा जायेगा?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले मैं उस विधान सभा क्षेत्र में गया था और यह पब्लिक मीटिंग में अनाउंस किया था। लेकिन वहां पर विधायक महोदय उपस्थित नहीं थे। विधायक महोदय को चाहिए कि जब मंत्री जाएं तो उस समय वहां पर उपस्थित हों ताकि उनके पास पूरी सूचना आ जाए। यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तलवाड़ स्थित तलाड़ू की स्वीकृति आरम्भ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तलवाड़-थुरल के नाम से अधिसूचना दिनांक 17.8.2007 को प्रदान की गई थी। उसी वर्ष में इस संस्थान को स्थापित कर दिया गया था। राजकीय औद्योगिक संस्थान तलवाड़ स्थित तलाड़ू की स्थापना हेतु सर्वश्री कुमिन्द्र सिंह व सुखविन्द्र सिंह सपुत्र नारायण दास निवासी मौहाल कवाल मौजा आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा ने खसरा न0 775 तदादी रकवा 38.19 हैक्टेयर भूमि दिनांक 25.3.2011 को तकनीकी शिक्षा विभाग को दान में दी है। संस्थान के भवन निर्माण हेतु सरकार ने

1.4.2016/1155/av/as/3

वर्ष 2011 में 3,52,46,000/- रुपये का एक प्रोजैक्ट तैयार किया था। प्रशासनिक अनुमोदन के बाद उसके लिए 22 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की थी। वर्ष 2011 में सिर्फ 22 लाख रुपये रखे गये थे, हमने उसके बाद लगभग 1.70 करोड़ रुपये दिए हैं। यह कुल 3.50 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट है। आधी राशि हमने लोक निर्माण विभाग के पास जमा करवा दी है। अब उसको जल्दी-से-जल्दी पूरा करने का काम लोक निर्माण विभाग का है।

श्री संजय रतन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो यहां पर अमाउंट बताया, यदि प्रश्न के 'ख' भाग में अमाउंट देखा जाए तो इसमें 52.34 लाख रुपये है और स्वीकृति 1,17,35,400/- रुपये की है। इनकी स्टेटमैंट ड्यूल आ रही है; लिखित में कुछ है तथा यहां जवाब में कुछ और बोल रहे हैं। इसकी सही फिगर क्या है और यह काम कब तक शुरू कर दिया जायेगा? क्या इसके लिए कोई समायावधि निश्चित की गई है? अगर नहीं किया गया है तो लोक निर्माण विभाग से समयावधि निश्चित करके इसका काम कब तक शुरू करवा देंगे? दूसरे, वहां पर विधायक महोदय मौजूद नहीं थे और यदि उनको पता होता तो वे अवश्य आते।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विधायक जी नहीं थे मगर उनके पिता जी थे और वह भी पूर्व विधायक है तथा बनने वाले रेस में थे। इसलिए जवाब बड़ा क्लीयर है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा 52.34 लाख रुपये जमा करवा दिए हैं।

टीसी द्वारा जारी

01.04.2016/1200/AG-TCV/1

प्रश्न संख्याः- 3137 क्रमागत ।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जारी...

इसके अलावा मु0 1,17,35,400/- रूपये इसी वर्ष में दिए हैं इसलिए दोनों का जवाब क्लीयर दिया हुआ है उसको कंफ्यूज न करें। ये फ़िगर हमारे पास होती है आपके पास

नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि यह कार्य बड़ा जरूरी है और इसको शीघ्रातिशीघ्र किया जाये। मुझे वहां उस इलाके के सारे प्रतिनिधि मिले थे और उनको भी यह आश्वासन दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को करेंगे। माननीय विधायक जी भी इस कार्य को शीघ्रता से करवाने के बारे में कई बार आग्रह कर चुके हैं इसलिए इस कार्य को जल्दी करवा दिया जाएगा।

01.04.2016/1200/AG-TCV/2

श्री संजय रतनः अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सूचना इस सदन में दी जाये, कृपया अधिकारियों को निर्देश दिए जायें कि सही सूचना दें। जो यह सूचना 'ख' भाग में दी गई है अगर इसको पढ़ें- जी नहीं , अपितु इसे किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है इसके भवन का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। जिसके पास मु0 52,34,000/- रूपये की राशि जमा करवा दी गई है तथा मु0 1,17,35,400/- की राशि को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसमें यह नहीं लिखा है अडिशनल की गई है। इसमें स्वीकृति प्रदान की गई है और इसका मतलब है कि टोटल ये प्रोजैक्ट मु0 1,17,35,400/- रूपये का है इसलिए अधिकारियों ने सही उत्तर नहीं दिया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में जो भी उत्तर सदन में दिया जाये वह सही दिया जाये।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सवाल है माननीय विधायक महोदय, उसको कृपा करके अच्छी तरह पढ़े। इसके 'ख' भाग में लिखा है क्या ये संस्थान अपने भवन में संचालित है? उसका जवाब है - जी नहीं । इसका मतलब है कि हमारा अपना भवन नहीं है, ये किराये के भवन में चल रहा है, आगे लिखा है कि अपितु इसे किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है। इस संस्थान के निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है उसका ब्योरा दे दिया है, जो स्वीकृति दी गई है वह बता दी गई है। अगर आप प्रोजैक्ट की टोटल वैल्यू जानना चाहते हैं तो मैंने बता दिया है कि यह 3,52,000,00/-रूपये का प्रोजैक्ट है और इस सदन में जो सूचना दी जाती है वह मंत्री द्वारा दी जाती है, अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी जाती

है।

प्रश्नकाल समाप्त।

01.04.2016/1200/AG-TCV/3

कागजात सभा पटल पर:

अध्यक्ष: अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

i. हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग अधिनियम, 2010 की धारा 13(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15; और

ii. अकादमी की संविधान की धारा-21 के अन्तर्गत हिमाचल कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2013-14 ।

अध्यक्ष: अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री, कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

i. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15;
ii. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14

(विलम्ब के कारणों सहित);

iii. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15;

01.04.2016/1200/AG-TCV/4

iv. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15;

v. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (बिजली नियामक लेखा पर विवरण प्रणाली) विनियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/एच(1)1/2014 दिनांक 22.12.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.01.2015 को प्रकाशित;

vi. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन का संवर्द्धन अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से और नियम एवं शर्तें टैरिफ के निर्धारण के लिए) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/428 Vol-VIII दिनांक 11.02.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.02.2015 को प्रकाशित;

vii. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (तत्कालीन हि0प्र0 विद्युत बोर्ड और उतराधिकारी संस्थाओं के टर्मिनल लाभ की लागत के बटवारे के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/(5)(3)(1) दिनांक 31.03.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.04.2015 को प्रकाशित;

viii. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (बिज़ली की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/419 दिनांक 22.07.2015 द्वारा अधिसूचित तथा

शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.07.2015 को प्रकाशित;

ix. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (छत सौर पी वी ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणाली शुद्ध माप के आधार पर) विनियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/एच(1)11/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.08.2015 को प्रकाशित;

01.04.2016/1200/AG-TCV/5

x. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (बिज़ली की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/419 दिनांक 21.09.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22. 09.2015 को प्रकाशित;

xi. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (बिज़ली की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/419 दिनांक 19.10.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.10.2015 को प्रकाशित;

xii. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (प्रतिभूति जमा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/414/(प्रतिभूति जमा) दिनांक 28.11.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.12.2015 को प्रकाशित;

xiii. राज्य सलाहकार समिति के बारे में अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याःएचपीईआरसी/बी(32)-1/2013 दिनांक 23.12.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.12.2015 को प्रकाशित; और

xiv. राज्य सलाहकार समिति के बारे में अधिसूचना जोकि अधिसूचना

संख्याःएचपीईआरसी/बी(32)-1/2013 दिनांक 08.01.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.01.2016 को प्रकाशित ।

((v) से (xiv) तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम हैं)

01.04.2016/1200/AG-TCV/6

अध्यक्षः अब माननीय उद्योग मन्त्री द्वारा प्राधिकृत-माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुछ कागजात सभापटल पर रखेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (प्राधिकृत)ः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, विकास अधिकारी, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-II(बी)2-8/2006-I दिनांक 5.3.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10. 03.2016 को प्रकाशित की प्रति सभापटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, कुछ कागजात सभापटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 की प्रति सभापटल पर रखता हूं।

01.04.2016/1200/AG-TCV/7

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्षः नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकषण प्रस्ताव रखा गया है। अब श्री अनिरूद्ध सिंह,

माननीय सदस्य अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से नियम-62 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री के ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि दिनांक 22 मार्च, 2016 को पंजाब केसरी समाचार-पत्र में छपे समाचार शीर्षक "टंकियों की सफाई पर खर्चे 16 करोड़ रूपये"। यह प्रश्न मैंने दिनांक 17.03.2016 को प्रश्न संख्याः 2961 द्वारा पूछा था। इसमें मैंने पूछा था कि गत 3 साल में सरकार द्वारा शिमला स्थित सरकारी कार्यालयों/आवासों में स्थापित पानी की टैंकियों की सफाई व अन्य मूलभूत सुविधाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई? इसका जो जवाब आया है वह शायद स्पष्ट नहीं था और स्पष्ट न होने के कारण 22 तारीख को और उससे पहले भी 2-3 न्युज पेपर्ज़ में आया कि लोक निमार्ण विभाग, डिविजन न0 1 और 3 ने मु0 15,96,000,00/- रूपये केवल टैंकियों की सफाई के लिए खर्चें हैं। मुझे लोगों के कई फोन आये और वे असमंजस में थे कि अगर पिछले 3 सालों में लगभग 16 करोड़ रूपये सिर्फ टैंकियों की सफाई पर खर्चे हैं

आर0के0एस0 द्वारा ---- जारी ।

01/04/2016/1205/RKS/DC/1

श्री अनिरूद्ध सिंह...जारी

तो 1,03, 675 रुपए पर टंकी के हिसाब से बनता है। अगर नई टंकियां खरीदनी होती तो 46,958 नयी टंकियां खरीदी जाती। अगर ग्लोबल टैंडर किए जाते तो तकरीबन 3400 रुपए की एक टंकी पड़ती। इन टंकियों की सफाई वर्क चार्ज, डेलिवेजिज लेबर द्वारा करवाई गई और साथ में अन्य किन-किन मदों में खर्चा किया गया व अन्य जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जो खर्चा किया गया वह जवाब में लिखा गया था। परन्तु इस पर जवाब विस्तृत रूप में न आने के कारण लोग संशय में थे। माननीय मुख्य मंत्री जी, आपकी रहनुमाई में पी.डब्ल्यू.डी. विभाग अच्छा काम कर रहा है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि लोगों के मन में कुछ बात रहे, लोगों को कुछ दिक्कत रहे। इसलिए प्रदेश

की जनता को स्पष्टीकरण देना जरूरी है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो जवाब था उसे पी.डब्ल्यू.डी. विभाग डिटेल में दें ताकि लोगों के संशय समाप्त हो जाए। अध्यक्ष जी आपने बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

Chief Minister: Hon'ble Speaker Sir,

Factual Position is as under.

In this regard, it is intimated that the expenditure amounting to Rs.1596.60 Lacs has been incurred on the various Govt. residential and non-residential buildings for the last three years for periodical painting & distempering, renovation of kitchen, bath and toilets, repair of roof leakages, change of glass panes and repair of doors & windows and laying of tiles, cupboards & almirahs and replacement of roof ceiling ,wall masonry including, plaster cleaning of campus of various buildings and bush cutting etc. The year wise detail of such expenditure is given as under:-

01/04/2016/1205/RKS/DC/2

1. Shimla Division No.I.

Year	Expenditure (Rs. in lacs)	
	Residential (A)	Non-residential (B)
2013-14	58.29	0
2014-15	147.79	0
2015-16(upto 2/2016)	146.89	0

Total:	**352.97**	**0**

2. Shimla Division No.III.

Year	Expenditure (Rs. in lacs)	
	Residential (A)	Non-residential (B)
2013-14	231	197.36
2014-15	341.09	170.04
2015-16(upto 2/2016)	230.2	73.94
Total:	**802.29**	**441.34**
	G. Total : (A+B) = 1596.60	

Continued by AG…..

01.04.2016/1210/SLS-AG-1

Chief Minister Continues . . .

In additional to above, the tanks are cleaned by the departmental labourers and approximate expenditure of Rs. 17.50 lacs per annum is being incurred on cleaning of these tanks at the rate of Rs. 500/- per tank besides replacing same old tanks during this process.

So, the news item which was referred to is totally off the mark. I wish before publishing such matter in paper the Correspondents take more care to find the facts rather than misleading the people. Thank you, Sir.

01.04.2016/1210/SLS-AG-2

अध्यक्ष : अब श्री पवन काजल जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। फिर माननीय शहरी विकास मंत्री जी की ओर से श्री प्रकाश चौधरी, माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री जी इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देंगे।

श्री पवन काजल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कांगड़ा में जहां पुराना बस स्टैंड था वहां पिछले 5-6 महीनों से यह देखने में आया है कि जब भी थोड़ी-सी वर्षा होती है, वहां पर पानी भर जाता है। उसकी निकासी के लिए विभाग और प्रशासन ने प्रयास भी किए परंतु उसका कोई ठोस हल नहीं निकल पाया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अख़बारों में भी यह बात बार-बार आ रही है कि वहां पर थोड़ी-सी वर्षा के बाद पानी भर जाता है। पहले जो पुराने बस स्टैंड के साथ लगते नाले थे और पानी निकलने के जो दूसरे रास्ते थे, वह बंद हो गए हैं। वह वहां पर सब ओर से हुई एनक्रोचमैंट के कारण बंद हुए हैं। मैं कांगड़ा शहर की आज इस स्थिति से संबंधित यह मामला सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। बज्रेश्वरी मंदिर में आजकल हजारो-लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। वहां पर पानी के इस भराव के कारण गत 4-5 महीनों से तो यह स्थिति पैदा हो गई है कि कहीं वहां पर कोई महामारी न फैल जाए। सरकार और प्रशासन की ओर से कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि जो पहले वहां पर 5-5, 6-6 पुट चौड़े नाले थे उनकी जो एनक्रोचमैंट हुई है, उसकी डिमारकेशन करवाई जाए और उन नालों के माध्यम से पानी की निकासी के लिए रास्ता निकाला जाए। दूसरे, लोक निर्माण विभाग ने कांगड़ा शहर से लेकर बाईपास तक सड़क के दोनों ओर जो नालियां बनाई हैं,

जारी..गर्ग जी

01/04/2016/1215/RG/AG/1

श्री पवन काजल---क्रमागत

कुछ जगह ऐसी हैं जहां नालियां नहीं बनी हैं। हो सकता है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के कारण या कुछ दुकानदारों के कारण वहां नालियां नहीं बनीं। उसके द्वारा भी दिक्कत पैदा होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बस स्टैण्ड से लेकर बाई पास तक दोनों तरफ ड्रेनेज होकर पानी एक तरफ से आए और दूसरी तरफ से चला जाए। पीछे तो स्थिति यह हो गई थी विभाग ने पानी की निकासी के लिए हल भी ढूंढा। लेकिन वहां जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था उन्होंने वहां से पानी नहीं जाने दिया। बाकी दूसरी तरफ भी विभाग ने पानी की निकासी के लिए कहा, तो दूसरे लोग वहां आ गए कि हम यहां शहर का पानी क्यों आने दें? तो यह स्थिति कांगड़ा शहर के की है। कांगड़ा में मॉ बज्रेश्वरी माता का मंदिर है और हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं। कल को यहां कोई बीमारी न फैले, इसलिए मैं सरकार के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि इसका कोई ठोस हल निकाला जाए। धन्यवाद। जय हिन्द।

01/04/2016/1215/RG/AG/2

अध्यक्ष : अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री जी इसका जवाब देंगे।

आबकारी एवं कराधान मंत्री(प्राधिकृत) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि कांगड़ा शहर के बस स्टैंड व पोस्ट ऑफिस के आस-पास दिनांक 12.3.2016 को हुई भारी वर्षा के फलस्वरूप काफी मात्रा में पानी जमा हो गया था जिसके कारण स्थानीय लोगों, दुकानदारों व वाहनों की आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा।

स्थानीय जनता तथा दुकानदारों द्वारा उप-मण्डलाधिकारी (ना.) को आवेदन किया कि जो वर्षा का पानी एक नाले द्वारा पिछले 70 वर्षों से श्रीमती नीमा पठानिया की सम्पत्ति की ओर बहता था उस उक्त पार्टी द्वारा बन्द कर दिया गया है। इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रशासन ने उन व्यक्तियों के खिलाफ जिन्होंने अवैध कब्जे व पानी की निकासी बन्द कर दी थी, उप-मण्डलाधिकारी, कांगड़ा द्वारा सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

उप-मण्डलाधिकारी(ना.) द्वारा जनहित में की गई कार्रवाई के खिलाफ उक्त पार्टी द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज की गई है तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की कोर्ट ने शिकायत पर कार्रवाई के आदेश दिए।
प्रशासन द्वारा बन्द की गई निकासी को खोल दिया गया है तथा अब पानी की निकासी सुचारू रूप से हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि अवैध कब्जों के कारण ये सारा पानी रुका पड़ा है, तो इस पर प्रशासन भी चिन्तित है और सरकार भी चिन्तित है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि जो अवैध कब्जे हैं, सरकार उनको हटाने का पूरा प्रयास करेगी और जहां तक इन्होंने नालियों की बात कही है उसके लिए भी मैं इनको आश्वासन देना चाहूंगा कि जो नालियां किसी वजह से नहीं बन पाई हैं, तो उनको भी बनाने का पूरा प्रयास करेंगे।

01/04/2016/1215/RG/AG/3

नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

अध्यक्ष : अब नियम-324 के अन्तर्गत विषय हैं और श्री हंस राज, श्री कृष्ण लाल ठाकुर, श्री सुरेश कुमार और श्री रिखी राम कौंडल की ओर से नियम-324 के अन्तर्गत विषय प्राप्त हुए हैं। क्योंकि वे सदन में उपस्थित नहीं हैं। इसलिए उनके विषय चर्चा हेतु नहीं लिए जाएंगे और इन पर चर्चा नहीं हो सकती तथा इनका जवाब नहीं मिल सकता।

अब इस माननीय सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 4 अप्रैल, 2016 के 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा**
दिनांक : 01 अप्रेल, 2016 **सचिव।**